

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 30.6.15

संशोधित बैठक सूचना

विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित बैठक सूचना पत्र दिनांक 18.6.2015 को निश्चित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशानुसार लेख है कि पाली जिले के प्रभारी मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिले में दिनांक 3 जुलाई, 2015 को जिला स्तरीय अधिकारियों की जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति एवं बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक रखी गई है। उक्त बैठक में निम्नानुसार अधिकारी भी सम्मिलित होंगे :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास।
- 3 शासन सचिव, एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग/प्रतिनिधि।
- 4 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 5 आयुक्त, महानरेगा/प्रतिनिधि।
- 6 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 7 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 8 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 9 निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज।
- 10 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता, (एस) पंचायती राज।
- 12 जिला प्रभारी, पाली।

जिले में बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

जिले में कार्यक्रम - 03 जुलाई, 2015

क्र.सं.	समय	स्थान	प्रतिभागी	एजेण्डा
1	10.00 से 2:00 बजे तक	बैठक कक्ष जिला कलेक्टर पाली	माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय जिला प्रमुख, माननीय प्रधानगण (समस्त), जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं विकास अधिकारीगण (पाली जिला)	जिले में संचालित समस्त योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा
2	2.00 से 3.00 बजे तक		लंच ब्रेक	
3	3.00 से 5.00 बजे तक		क्षेत्र भ्रमण एवं जन सुनवाई	

उक्त बैठक का आयोजन, समन्वय, बैठक कार्यवाही विवरण एवं दौरे के पश्चात प्रगति एम.आई.वी-1 एवं एम.आई.वी-2 प्रपत्रों में प्रशासनिक सुधार विभाग के ई-मेल आईडी cmv@rajasthan.gov.in एवं इस विभाग की ई-मेल आईडी pdme2k_rdd@yahoo.com पर दो दिवस में प्रस्तुत करने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा।


भवदीय

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

D.T.O.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 8 निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा।
- 9 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 10 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 11 निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज।
- 12 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 13 जिला कलक्टर, पाली।
- 14 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने स्तर से जिले के माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, जिला प्रमुख महोदय एवं प्रधानगण साथ ही विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी बैठक में भाग लेने हेतु अवगत करवायेगें। साथ ही जिले के समस्त योजना प्रभारी एवं विकास अधिकारियों को बैठक में योजनाओं की पूर्ण तैयारी के साथ भाग लेने हेतु सुनिश्चित करवायेगे, तथा बैठक हेतु आवश्यक सूचनाएं तैयार करेगें एवं बैठक आयोजन संबंधि समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।
- 15 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 16 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू), ग्रामीण विकास।
- 17 अधीक्षण अभियन्ता (एस) पंचायती राज।
- 18 जिला प्रभारी मुख्यालय पाली।
- 19 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)